संख्या–585/33–3–2019–212/2017 टी0सी0

प्रेषक,

प्रीति शुक्ला,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश
(2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज,अनुभाग–3 लखनऊ: दिनांक– 08 मार्च, 2019

विषय– मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के क्रियान्वयन एवं वर्ष 2018–19 में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–81/2017/2170/33–3–2017–212/ 2017 दिनांक 20 सितम्बर, 2017 के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में पंचायत सशक्तीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त योजनान्तर्गत पंचायतों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किये जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन "हमारी पंचायत पोर्टल" (www.hamaripanchayat.up.gov.in) पर दिनांक– 01 मार्च, 2019 से प्राप्त किया जाना है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार" वित्तीय वर्ष 2018–19 में निम्नवत् उल्लिखित दिशा–निर्देश एवं निर्धारित प्रक्रियानुसार ग्राम पंचायतों द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों का चयन किया जाये :–

1– योजना का उद्देश्य :–

- पंचायतों को जवाबदेह संस्था के रूप में विकसित किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना।
- पंचायतों को अधिनियम व नियम के अनुसार कार्यवाही करने हेतु प्रोत्सहित किया जाना।
- उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जाना।
- ग्राम पंचायतों को स्मार्ट ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जाना।

2– सामान्य निर्देश :–

- ग्राम पंचायतों द्वारा वर्ष 2018–19 में किये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर निर्धारित प्रश्नावलियों पर ऑनलाइन "हमारी पंचायत पोर्टल" के माध्यम से स्वः मूल्यांकन कर दिनांक 15 अप्रैल, 2019 तक जनपद परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति हेतु फ्रीज किया जाना होगा।
- योजनान्तर्गत राज्य एवं जनपद स्तर पर पूर्ववत निम्नलिखित समितियों का गठन किया जायेगा, जिनकी अनुशंसा के आधार पर योजना को निष्पादित किया जायेगा। समितियों का स्वरूप एवं दायित्व प्रस्तर–4 पर वर्णित है –

1– राज्य स्तरीय समिति "राज्य परफारमेंस असेसमेंट समिति"(SPAC)– कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में।

Scanned by CamScanner

2– जनपद स्तरीय समिति "जनपद परफारमेंस असेसमेंट समिति"(DPAC)– जिलाधिकारी की अध्यक्षता में।

- योजनान्तर्गत प्रस्तर–3 में दिये विषयों/क्षेत्रों के आधार पर 100 अंकों की प्रश्नावली जारी करने हेतु निदेशक, पंचायतीराज अधिकृत होगें, जिसके माध्यम से ग्राम पंचायतों का ऑनलाइन मूल्यांकन किया जायेगा।
- जनपद परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति द्वारा आवेदित पंचायतों का सामान्य परीक्षण कर निदेशक, पंचायतीराज द्वारा वर्णित प्रक्रियानुसार ग्राम पंचायतों का स्थलीय सत्यापन जनपद परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति द्वारा कराया जायेगा। तदोपरान्त समिति द्वारा प्रत्येक विकास खण्ड/जनपद से पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या (राज्यस्तरीय समिति द्वारा निर्धारित) से 02 अधिक ग्राम पंचायत राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति द्वारा ऑनलाइन फ्रीज की जायेगी।
- राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति द्वारा यथा आवश्कतानुसार ग्राम पंचायतों के स्थलीय सत्यापनोपरान्त पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की अन्तिम सूची जारी की जायेगी।
- योजनान्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड/जनपद स्तर से पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की अंतिम संख्या एवं पुरस्कार धनराशि शासन द्वारा प्राविधानित बजट व्यवस्था अनुसार राज्यस्तरीय समिति द्वारा निर्धारित की जायेगी।
- योजनान्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड/जनपद से पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों को न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायत को पुरस्कृत करने हेतु विचार नहीं किया जायेगा।
- हमारी पंचायत पोर्टल (www.hamaripanchayat.up.gov.in) पर आवेदन हेतु सचिव, ग्राम पंचायत एवं जनपदस्तरीय समिति (DPAC) के यूजर आईडी और पासवार्ड सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी के ईमेल आईडी पर पंचायतीराज निदेशालय, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

3– योजनान्तर्गत पुरस्कार हेतु विषय/क्षेत्र एवं अधिमानः–

क्र0सं0	क्षेत्र	अधिमान (100)
1	ग्राम पंचायत विकास योजना वार्षिक योजना निर्माण। निर्धारित प्रक्रिया पालन। स्वयं से अर्जित आय में वृद्धि।	15 प्रतिशत
2	स्वच्छता ओ0डी0एफ0 प्लस अन्तर्गत गतिविधियों की स्थिति। आई0ई0सी0 गतिविधियां। निर्मित शौचालयों की जीओ टैगिंग।	20 प्रतिशत
3	विकास कार्य एवं नागरिक सेवाएं लाभार्थीपरक योजनाओं का दीवार लेखन। सूचना का अधिकार।	25 प्रतिशत
4	ग्राम पंचायत/ग्राम सभा की कार्य प्रणाली ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठकें। आडिट रिपोर्ट आदि।	20 प्रतिशत
5	ई–गर्वनेन्स प्रिया साफ्ट पर एकाउण्टिंग। पी0एफ0एम0एस0। आर0टी0जी0एस0 एवं एन0ई0 एफ0टी0 से भुगतान।	20 प्रतिशत

Amit Srl.

Scanned by CamScanner

योजनान्तर्गत पुरस्कृत किये जाने हेतु ग्राम पंचायतों का चयन उनके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में किये गये कार्यों के आधार पर किया जायेगा।

4 समितियों का गठन एवं दायित्व

जनपद परफारमेन्स अशेसमेन्ट समिति (DPAC):-

क्र.सं.	पदनाम	पद
1	जिलाधिकारी, उ.प्र.	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी, उ.प्र.	उपाध्यक्ष
3	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य सचिव
4	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
5	जिला विकास अधिकारी	सदस्य
6	जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी	सदस्य
7	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य

जनपद परफारमेन्स अशेसमेन्ट समिति (DPAC) के दायित्व:-

1-- जनपद की उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों के चयन हेतु रणनीति तैयार करना।

2-- ग्राम पंचायतों द्वारा ऑन-लाइन भरी गई प्रश्नावली का परीक्षण कर फ्रीज करना।

3-- ग्राम पंचायतों के स्थलीय सत्यापन हेतु टीम का गठन एवं स्थलीय सत्यापन कराना।

4-- स्थलीय सत्यापन पश्चात् निश्चित समयावधि में ग्राम पंचायतों की अंतिम सूची राज्य परफारमेंस अशेसमेंट समिति को उपलब्ध कराना।

5-- सचिव, ग्राम पंचायत एवं ग्राम पंचायतों को यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराना।

6-- ऑन-लाइन प्रक्रिया की जानकारी हेतु सचिव, ग्राम पंचायत का जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित कराना।

7-- पुरस्कार धनराशि सम्बंधी उपयोग प्रमाण पत्र पंचायतीराज निदेशालय को निश्चित समयावधि में उपलब्ध कराना।

राज्य परफारमेन्स अशेसमेन्ट समिति (SPAC)-

क्र.सं.	पदनाम	पद
1	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।	उपाध्यक्ष
3	प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
4	प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
5	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
6	प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
7	प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
8	विशेष सचिव, अनुभाग--1/2/3, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।	सदस्य
9	मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0), पंचायती राज विभाग, उ.प्र.।	सदस्य
10	निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ.प्र. लखनऊ।	सदस्य सचिव
11	निदेशक, पंचायती राज (लेखा), पंचायती राज विभाग, उ.प्र.।	सदस्य
12	अपर निदेशक/संयुक्त सचिव/उपनिदेशक, पंचायतीराज विभाग,उ.प्र.।	सदस्य संयोजक
13	प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा नामित प्रदेश के एक जिलाधिकारी/एक मुख्य विकास अधिकारी, चार प्रधान	सदस्य

Amit Srl.

Scanned by CamScanner

	एवं पंचायती राज क्षेत्र में कार्यरत एक गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधि।	

राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति (SPAC) के दायित्वः–

1– योजनान्तर्गत बजट व्यवस्थानुसार कुल पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या एवं पुरस्कार की धनराशि पर निर्णय लेना।

2– पुरस्कार योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर से रणनीति तैयार करना।

3– जनपदों द्वारा उपलब्ध करायी गयी ग्राम पंचायतों की सूची का परीक्षण करना।

4– जनपदों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची की ग्राम पंचायतों का यथा आवश्यकतानुसार स्थलीय सत्यापन कराना।

5– सत्यापन पश्चात् अनुमोदित सूची की ग्राम पंचायतों को पुरस्कार दिये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत करना।

6– पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की अंतिम सूची को विभागीय वेब–साइट पर पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध कराना।

7– राज्य/मण्डल स्तर पर आयोजित किये जाने वाले पुरस्कार वितरण समारोह की समय–सारिणी एवं बजट का प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत करना।

8– पुरस्कार प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों के प्रयासों का दस्तावेजीकरण एवं मुद्रण कराना।

9– प्रत्येक वर्ष प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि के व्यय संबंधी निर्णय लेना।

10– योजना अन्तर्गत प्राप्त धनराशि के मदवार बजट प्रस्ताव तैयार कर शासन से अनुमोदन प्राप्त करना।

11– योजना संबंधी समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय निर्णय लेने हेतु समिति अधिकृत होगी।

5– ग्राम पंचातयों के आवेदन तथा चयन प्रक्रिया :–

मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं के स्तर से निर्धारित प्रश्नावली के आधार पर ऑनलाइन स्वमूल्यांकन कर निश्चित समय सीमा में भरकर पुरस्कार हेतु आवेदन करेगी। जनपद स्तर पर गठित जनपद परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (DPAC) ग्राम पंचायतों द्वारा भरी गयी प्रश्नावली का परीक्षण कर उन्हें ऑनलाइन फ्रीज करेगी। इस प्रकार आनलाइन फ्रीज करने के उपरान्त समिति द्वारा ग्राम पंचायतों का स्थलीय सत्यापन कराया जायेगा जिसके लिए समिति प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या के न्यूनतम दोगुना ग्राम पंचायतों का अंको के अवरोही क्रम में चयन करेगी।

जनपदस्तरीय समिति द्वारा स्वयं के स्तर से सत्यापन दल गठित कर निदेशक, पंचायतीराज द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार ग्राम पंचायतों का स्थलीय सत्यापन कराया जायेगा। सत्यापन दल स्थलीय सत्यापनोपरान्त रिर्पोट समिति को ऑनलाइन प्रस्तुत करेगी तथा रिर्पोट के परीक्षण पश्चात् सर्वाधिक अंक वाली ग्राम पंचायतों (SPAC द्वारा निर्धारित पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या) की सूची पुरस्कार हेतु राज्यस्तरीय समिति को ऑनलाइन फ्रीज कर अग्रसारित करेगी।

इस प्रकार जनपदों से प्राप्त चयनित ग्राम पंचायतों की सूची का राज्य परफारमेंस असेसमेन्ट समिति (SPAC) द्वारा परीक्षण किया जायेगा तथा यथावश्यकतानुसार समिति द्वारा ग्राम पंचायतों का मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) के माध्यम से स्थलीय सत्यापन कराया जायेगा, जिसकी प्रक्रिया जारी करने हेतु निदेशक, पंचायतीराज अधिकृत होगें। सत्यापन के दौरान

Scanned by CamScanner

किसी ग्राम पंचायत का कार्य असन्तोषजनक पाया जाता है तो उस ग्राम पंचायत को सूची से हटाने के लिये राज्य परफारमेंस असेसमेन्ट समिति (SPAC) अधिकृत होगी। तत्पश्चात राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPAC) प्रत्येक विकास खण्ड/जनपद से पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों (SPAC द्वारा निर्धारित) को प्राप्त अंकों के आधार पर चयनित करेगी।

उक्त समस्त गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु समय-सारिणी निदेशक, पंचायतीराज द्वारा पृथक से जारी की जायेगी।

6- बजट व्यवस्था

पुरस्कार मद में बजट की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष की जायेगी, जिसको विभिन्न मदों में व्यय किये जाने संबंधी निर्णय लिये जाने हेतु राज्य परफासमेन्स असेसमेन्ट समिति (SPAC) अधिकृत होगी। प्रत्येक वर्ष उपलब्ध धनराशि के अनुसार राज्य परफासमेंस असेसमेंट समिति (SPAC) पुरस्कृत करने हेतु ग्राम पंचायतों की संख्या तथा पुरस्कार की धनराशि पर निर्णय लेने हेतु समर्थ होगी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में शासन द्वारा किये गये आय-व्ययक प्राविधान रू0 2500 लाख में से वित्तीय वर्ष 2018-19 में चयनित ग्राम पंचायतों के पुरस्कार धनराशि एवं प्रशासनिक मद पर व्यय किया जायेगा। वर्ष में कुल उपलब्ध धनराशि का पुरस्कार मद में व्यय करने के उपरान्त अधिकतम 5 प्रतिशत धनराशि को पुरस्कार समारोह आयोजन एवं अन्य प्रशासनिक मद में व्यय किया जा सकेगा। यदि पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ती या घटती है तो अनुमोदित बजट के मदों के विभाजन पर निर्णय लेने हेतु राज्य परफासमेंस असेसमेंट समिति (SPAC) अधिकृत होगी।

यथा साध्य कार्यक्रम अन्तर्गत समस्त कार्य को तय सीमा के अन्दर प्रत्येक वर्ष प्रत्येक 31 जुलाई तक पूरे करा दिया जायेगें यदि किन्हीं कारणों से कार्यक्रम में कुछ कार्य रह जाते है अथवा धनराशि शेष रह जाती है तो धनराशि आहरित का राष्ट्रीयकृत बैंक में निदेशक, पंचायती राज के निर्वतन पर रखी जा सकेगी।

7- पुरस्कार का स्वरूप

- पुरस्कार धनराशि- पुरस्कार धनराशि का निर्धारण वर्ष में उपलब्ध धनराशि के आधार पर किया जायेगा एवं उक्त धनराशि सीधे चयनित ग्राम पंचायत के खाते में निदेशक, पंचायतीराज द्वारा हस्तान्तरित की जायेगी।
- प्रशस्ति पत्र।

8- पुरस्कार वितरण

चयनित ग्राम पंचायतों को माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य महानुभावों की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर/मण्डल स्तर पर आयोजित पुरस्कार वितरण/सम्मान समारोह में सम्मानित किया जायेगा। वस्तुतः राज्य/मण्डल में समारोह का आयोजन प्रत्येक वर्ष के अगस्त एवं सितम्बर माह के मध्य में किया जायेगा।

शासनादेश संख्या संख्या-81/2017/2170/33-3-2017-212/2017 दिनांक 20 सितम्बर, 2017 को उक्त सीमा तक अवक्रमित किया जाता है।

भवदीय,
09/3/19
(प्रीति शुक्ला)
सचिव।

संख्या व दिनांकः- तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

Amit Sri.

Scanned by CamScanner

3- प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास विभाग/नियोजन विभाग/वित्त विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन अथवा उनका उनका प्रतिनिधि उ.प्र. शासन।

4- विशेष सचिव, पंचायतीराज अनुभाग–1, 2 एवं 3, उ0प्र0 शासन।

5- समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।

6- मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0), पंचायती राज विभाग, उ.प्र.।

7- निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0।

8- निदेशक, पंचायती राज (लेखा), पंचायती राज विभाग, उ.प्र.।

9- अपर निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।

10- उपनिदेशक(पं0), पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।

11- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) उ0प्र0।

12- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

13- समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश।

14- समस्त जिला विकास अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।

15- प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा नामित प्रदेश के एक जिलाधिकारी /एक मुख्य विकास अधिकारी, चार प्रधान एवं पंचायती राज क्षेत्र में कार्यरत एक गैर शासकीय संगठन का प्रतिनिधि।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

Amit Sir.

Scanned by CamScanner